# ऊर्जा संरक्षण नीति

अनुसंधान एवं विकास विभाग
एनएचपीसी लिमिटेड

## 1. प्रस्तावना

**1.1** एनएचपीसी लिमिटेड भारत सरकार की प्रमुख शेयरधारिता वाली एक मिनी रत्न श्रेणी-I कंपनी है। एनएचपीसी लिमिटेड भारत और विदेशों में पारंपरिक और गैर-पारंपरिक स्रोतों के माध्यम से विद्युत के एकीकृत और कुशल विकास की आयोजना, संवर्धन और सुव्यवस्थित करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

**1.2** पर्यावरण और लोगों के प्रति एनएचपीसी की प्रतिबद्धता इसकी कारपोरेट विजन और मिशन के माध्यम से सुनिश्चित की जाती है ।

**1.3** एनएचपीसी लिमिटेड ऊर्जा क्षेत्र में अपनी प्रभावशाली उपस्थिति के साथ अपने प्रचालन के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण उपायों को शामिल करने और ऊर्जा संरक्षण संबंधी नीति अपनाकर उपभोक्तओं को सेवाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है ।

## 2. उद्देश्य

- नियमित रूप से कंपनी के ऊर्जा निष्पादन का मूल्यांकन , निगरानी और समीक्षा करना और अपने हितधारकों को इसके प्रगति की सूचना देना ।
- पूरे संगठन में इष्टतम ऊर्जा उपयोग प्राप्त करना और बनाए रखना ।
- उत्पादन और गुणवत्ता को प्रभावित किए बिना ऊर्जा लागत/अपशिष्ट को कम करना ।
- कार्बन उत्सर्जन में कमी करके पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को कम करना और जलवायु संरक्षण के लिए प्रयासरत रहना ।
- अपने सभी संचालनों में दक्षता बढ़ाना ।
- ऊर्जा के बेहतर विकल्पों का अन्वेषण करना ।

## 3. नीति

एनएचपीसी निम्नलिखित के लिए प्रयासरत रहेगी:

- ऊर्जा संरक्षण और इसके लाभ के बारे में बड़े स्तर पर सभी प्रमुख हितधारकों के बीच जागरूकता उत्पन्न करना ।
- हमारी आपूर्ति श्रृंखलाओं के माध्यम से ऊर्जा की खपत को कम करने के लिए नए उपाय तलाशने के लिए हमारे मूल्य श्रृंखला भागीदारों के साथ मिलकर कार्य करना ।
- नवीन प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए अनुसंधान करना जो ऊर्जा संरक्षण में सहायता कर सकती हैं।
- मानव स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करते हुए ऊर्जा दक्षता प्रौद्योगिकियों, उत्पादों और सेवाओं को अपनाना और इसे बढ़ावा देना ।
- ऊर्जा सुरक्षा में सुधार करना और संगठन के मिशन और विजन और सरकार की नीतियों के अनुसार विविध ऊर्जा स्रोतों जैसे जल विद्युत, पवन, सौर और अन्य हरित स्रोतों का विकास करके सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता करना ।
- पर्यावरण के अनुकूल तरीके से विद्युत परियोजनाओं को विकसित करना ताकि परियोजनाएं स्वच्छ विकास तंत्र (सीडीएम) योजना, स्वैच्छिक उत्सर्जन कमी योजना और स्वैच्छिक कार्बन मानक (वीसीएस) योजनाओं के तहत लाभ प्राप्त करते हुए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न कर सकें।
- सभी लागू विधिक, विनियामक और अन्य ऊर्जा संबंधी आवश्यकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना।

## 4. प्रयोज्यता

यह नीति बोर्ड के सदस्यों, एनएचपीसी लिमिटेड के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों और कर्मचारियों पर लागू होती है ।

## 5. नीति का प्रचार, रिपोर्टिंग और कार्यान्वयन

- कर्मचारियों को इंट्रानेट और नोटिस बोर्ड के माध्यम से उचित और सार्थक तरीके से इस नीति के बारे में अवगत कराया जाता है ।
- मनोनीत नोडल विभाग अर्थात अनुसंधान एवं विकास विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह नीति पूरी कंपनी में लागू की गई है ।
- परियोजनाओं/पावर स्टेशनों/क्षेत्रों में उनके संबंधित प्रमुखों द्वारा और कॉर्पोरेट स्तर पर विभागाध्यक्ष, अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा ।
- अनुसंधान एवं विकास विभाग द्वारा नीति के अनुपालन की नियमित रूप से निगरानी की जाएगी और नीति के उल्लंघन के संबंध में किसी भी परिवेदना/शिकायत की सूचना आरएंडडी विभाग को दी जाएगी ।
- एनएचपीसी अपने कर्मचारियों को इसके प्रमुख तत्वों और शिकायत निवारण तंत्र से परिचित कराने के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करेगी ।
- नीति की रिपोर्टिंग एनएचपीसी व्यवसाय उत्तरदायित्व एवं संधारणीयता रिपोर्ट के माध्यम से की जाएगी ।

## 6. समीक्षा एवं निगरानी

- यह नीति 'ऊर्जा संरक्षण अधिनियम' 2001 और तत्संबंधी किसी भी संशोधन द्वारा शासित होगी।
- कंपनी नीति और उसके कार्यान्वयन की उपयुक्तता और प्रभावशीलता के संबंध में समय-समय पर समीक्षा करेगी और इसको अद्यतन करेगी ।
- एनएचपीसी लिमिटेड इच्छुक पक्षों से प्रतिक्रिया और बातचीत करने का भी स्वागत करती है । इस नीति के संबंध में सभी फीडबैक और टिप्पणियां एनएचपीसी को सूचित की जाएगी।

*******